

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

लखनऊ:: दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषय:- मूल्य समर्थन योजना वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत धान क्रय हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ले0शा0/1000/114/खा0-1/खरीफ अग्रिम 2017-18, दिनांक 08 सितम्बर, 2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय मूल्य समर्थन योजना वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत धान क्रय हेतु रू0 500,00,00,000/- (रू0 पाँच सौ करोड़ मात्र) जिनका विवरण निम्नवत है, अग्रिम ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत होने वाला अग्रिम
1	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0	50,00,00,000.00
2	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि0, (पी0सी0यू0)	130,00,00,000.00
3	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	300,00,00,000.00
4	यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0	20,00,00,000.00
	योग	500,00,00,000.00

(रू0 पाँच सौ करोड़ मात्र)

(1) उक्त अग्रिम ऋण इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि इसका आहरण गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण की धनराशि की ब्याज सहित वापसी शासकीय कोष में जमा कराने के बाद अथवा पूर्व स्वीकृत अग्रिम ऋण शासकीय कोष में न जमा होने की दशा में उसका समायोजन ब्याज सहित इस अग्रिम ऋण से कर लेने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों द्वारा उक्त धनराशि विलम्बतम 31 मार्च, 2018 तक ब्याज सहित शासन को वापस कर दी जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत अग्रिम ऋण पर ब्याज का निर्धारण शासनादेश संख्या-29/29-4-07-5(41)/98, दिनांक 14 फरवरी, 2007 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(4) उक्त अग्रिम ऋण के संबंध में समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(5) खाद्य आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि0, (पी0सी0यू0) तथा यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 के प्रबन्ध निदेशकों एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशाषी निदेशक से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 के अनुसार अनुबन्ध आदि भरवाकर ही अग्रिम ऋण का भुगतान किया जायेगा एवं अग्रिम ऋण

की वापसी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि० (पी०सी०यू०) तथा प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन एवं अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का होगा। अन्ततोगत्वा खाद्य आयुक्त स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम ऋण की पूरी धनराशि मय ब्याज यथा समय राजकोष में अवश्य जमा हो जाय।

(6) क्रय एजेन्सियों से अग्रिम की धनराशि पर उसी दर पर ब्याज देय होगा जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक खाद्यान्न के क्रय हेतु अग्रिम (सी०सी०एल०) स्वीकृत करते हैं।

2- शासनादेश संख्या-16/2017/428/29-3-2017-ब 708/2016 टीसी, दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उ०प्र० के निस्तारण पर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 में लेखाशीर्षक "4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत रखी गयी धनराशि से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि०(पी०सी०यू०), यू०पी० स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि० तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को उपरोक्त शर्तों के अधीन अग्रिम ऋण का भुगतान किया जायेगा तथा ब्याज अदायगी पूर्ण वसूलियों के ब्यौरे, जिन्हें लेखों में घटा दिया गया है, के लेखाशीर्षक "4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ०ए०-1-326/दस-2017, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-04/2017/906(1)/29-4-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
- 5- अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
- 11- खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।